कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

क्रमांक/शिक्षा शाला/2ख/51/2012/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
बड़वानी, अलीराजपुर, श्योपुर, झाबुआ,
धार, खरगोन, रतलाम, मध्यप्रदेश।

विषय :— 12 वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012—17 में आदिवासी विकासखंडों में कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना — आबंटन 2012—13

मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3—9/2012/2 /25 भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा आदिवासी विकासखंडों में बालिका शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार के साथ—साथ गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुए 12 वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले विकासखंडों में 20 कन्या शिक्षा परिसर खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(अ) प्रत्येक कन्या शिक्षा परिसर में 245 सीट होंगी, जिसमें 80 प्रतिशत आदिवासी बालिकाओं के साथ—साथ 20 प्रतिशत अन्य सभी वर्गों की बालिकाओं को प्रवेश दिया जा सकेगा। इन कन्या शिक्षा परिसर के लिये अधोसंरचना हेतु 245 सीट के शाला भवन, छात्रावास भवन एवं शिक्षकीय आवास गृह निर्माण, पेयजल टंकी, आदि की व्यवस्था हेतु विकासखंड मुख्यालय या विकासखंड के मुख्य ग्राम में लगभग 6—7 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। कृपया आवश्यक भूमि निर्धारित कर नक्शा, खसरा उपलब्ध करावें।

(ब) संस्थाओं में परिशिष्ट "अ" अनुसार आवश्यक मदों पर राशि व्यय की जाना है। फर्नीचर उपकरण, शिष्यवृत्ति हेतु निम्नानुसार आबंटन मांग संख्या 41—मुख्य शीर्ष 2225—0762 कन्या शिक्षा परिसर 34—सामग्री पूर्ति मद/शिष्यवृत्ति अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है।

(स) आदिवासी बालिकाओं के लिए शिष्यवृत्ति प्रति संस्था 6.30 लाख तथा सामग्री पूर्ति में 1.41 लाख के मान से आबंटन प्रदाय किया जा रहा है। संस्था के लिए सामग्री का क्रय भंडार क्रय नियम अनुसार किया जाये।

क्र	जिला	स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसरों की संख्या	शिष्यवृत्ति (राशि लाख में)	सामग्री पूर्ति प्रति (राशि लाख में)
1	बड़वानी	03	18.90	4.23
2	अलीराजपुर	05	31.50	7.05
3	श्योपुर	01	6.30	1.41
4	झाबुआ	05	31.50	7.05
5	धार	02	12.60	2.82
6	खरगोन	02	12.60	2.82
7	खंडवा	01	6.30	1.44
8	रतलाम	01	6.30	1.44
	योग	20	126.00 लाख	28.26 लाख

प्रदत्त आबंटन का उपयोग स्वीकृत नवीन कन्या शिक्षा परिसरों के लिए ही किया जावें। अन्य संस्थाओं के लिए इस राशि का उपयोग नहीं किया जाये।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

C:\Documents and Settings\T.r\My Documents\shiksha Shala\KANYA SHIKSH PARISAR.doc

पृ. कमांक / शिक्षा शाला / 2ख / 51 / 2012 / 19803 भोपाल, दिनांक 22.9.2012

प्रतिलिपि :—

1. संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर, चम्बल संभाग मुरैना, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बड़वानी, अलीराजपुर, श्योपुर, झाबुआ धार, खरगोन, रतलाम, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

4050
03/10/12

C:\Documents and Settings\T.r\My Documents\shiksha Shala\KANYA SHIKSH PARISAR.doc

मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3–9/2012/2/25 भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– आदिवासी विकासखंडों में कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना।

राज्य शासन द्वारा आदिवासी विकासखण्डों में कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए राशि रूपये 83700.00 लाख (रूपये आठ सौ सैंतीस करोड़ केवल) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा वर्ष 2012–13 में राशि रूपये 13620.00 लाख (रूपये एक सौ छत्तीस करोड़ बीस लाख केवल) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 29.5.2012 द्वारा आदिवासी विकासखंडों में वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता 28.40 प्रतिशत से जिन विकासखंडों की साक्षरता दर कम है, ऐसे कम महिला साक्षरता वाले 20 विकासखंडों में कन्या साक्षरता वृद्धि के लिये 20 आवासीय 245 सीटर कन्या शिक्षा परिसर खोलने की सहमति प्रदान की गई है। दिनांक 28.8.2012 के मंत्रि–परिषद में पद निर्माण का निर्णय लिया गया है। संचालित कन्या शिक्षा परिसरों में संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाई मद अनुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

2/ वर्ष 2012–13 में निम्नांकित विकासखंडों में कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना एवं पद निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क.	जिला	विकासखंड
1	बड़वानी	पाटी
2	बड़वानी	सेंधवा
3	बड़वानी	बड़वानी
4	अलीराजपुर	सोण्डवा
5	अलीराजपुर	कट्ठीवाडा
6	अलीराजपुर	उदयगढ़
7	अलीराजपुर	अलीराजपुर
8	अलीराजपुर	भावरा
9	श्योपुर	कराहल
10	झाबुआ	झाबुआ
11	झाबुआ	रामा
12	झाबुआ	थांदला
13	झाबुआ	जोबट
14	झाबुआ	रानापुर
15	धार	बाग
16	धार	डही
17	खरगौन	झिरन्या
18	खरगौन	भगवानपुरा
19	रतलाम	बाजना
20	खण्डवा	खालवा (खेड़ी)

3830
17/9/12

D.C. No. 2118
Date 18/9

27

C:\Documents and Settings\sony\Desktop\OR DER P FCENEW SCHOOL2013.doc

पद निर्माण

	पद का नाम	वेतनमान	एक कन्या शिक्षा परिसर हेतु आवश्यक पद	20 नवीन कन्या शिक्षा परिसरों हेतु आवश्यक पद
1	प्राचार्य प्रथम श्रेणी	15600--39100+6600 ग्रेड पे	01	20
2	व्याख्याता	9300--34800 +3600ग्रेड पे	10	200
3	शिक्षक	9300--34800 +3200 ग्रेड पे	09	180
4	शिक्षक (संगीत)	9300--34800 +3200 ग्रेड पे	01	20
5	शिक्षक (काफ्ट)	9300--34800 +3200 ग्रेड पे	01	20
6	छात्रावास अधीक्षक (1 बा.+1कन्या)	9300--34800 +3200 ग्रेड पे	02	40
7	पुस्तकालय सहायक	5200--20200+2400 ग्रेड पे	01	20
8	सहायक शिक्षक वर्ग--3 विज्ञान	5200--20200+2400 ग्रेड पे	03	60
9	लेखापाल	5200--20200+2400 ग्रेड पे	01	20
10	पी.टी.आई.	9300--34800 +3200 ग्रेड पे	01	20
11	सहायक शिक्षक (कम्प्यूटर प्रशिक्षित)	5200--20200+2400 ग्रेड पे	01	20
12	सहायक ग्रेड--3 (कम्प्यूटर प्रशिक्षित)	5200--20200 +1900 ग्रेड पे	01	20
13	प्रयोगशाला परिचायक	5200--20200+1800 ग्रेड पे	03	60
14	भृत्य	कलेक्टर दर	03	60
15	रसोईयां	कलेक्टर दर	04	80
16	जलवाहक	कलेक्टर दर	02	40
17	चौकीदार	कलेक्टर दर	02	40
	महायोग		48	920

उक्त व्यय निम्न बजट शीर्ष से विकलनीय होगा--

3/ " मांग संख्या--41 मुख्यशीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 277 शिक्षा 0762 कन्या शिक्षा परिसर 11 वेतन भत्ते 21 यात्रा भत्ता 22 कार्यालय व्यय 33 अनुरक्षण कार्य 34 सामग्री एवं पूर्तियॉ 41 छात्रवृत्ति एवं वृत्तियॉ वर्ष 2012--13 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

4/ विभाग द्वारा कन्या शिक्षा परिसरों के लिये वेतन भत्तों सहित बालिकाओं को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति, गणवेश, पोषण आहार, अध्यापन सामग्री, साज--सज्जा सामग्री, फर्नीचर, कीड़ा सामग्री, चिकित्सा, सांस्कृतिक गतिविधियां, शैक्षणिक भ्रमण की विभाग द्वारा परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तावित नवीन दरों के आधार पर व्यय किया जायेगा।

27

C:\Documents and Settings\sony\Desktop\ORDER P FCENEW SCHOOL2013.doc

परिशिष्ट – "अ"

बालिकाओं को दी जाने वाली सुविधाएँ

प्रति संस्था बालिकाओं की संख्या : 245 सीट

	संचालित कक्षाएँ	दी जाने वाली सुविधाएँ	दर	वार्षिक व्यय प्रति संस्था	विशेष
अ. आवर्ती व्यय					
बालिकाओं को दी जाने वाली सुविधा	6–12	शिष्यवृत्ति	750/– मासिक	18,37,500	विभाग द्वारा समय समय पर संशोधित
		गणवेश (दो सेट)	750/– वार्षिक	1,83,750	एक माह की शिष्यवृत्ति के बराबर
		पोषण आहार	200/– मासिक	4,90,000	विभाग द्वारा समय समय पर संशोधित
		अध्ययन सामग्री	1000/– वार्षिक	2,45,000	शत प्रतिशत व्यय
		साज–सज्जा सामग्री	2,000/– वार्षिक	4,90,000	वास्तविक व्यय
सामूहिक सुविधा		फर्नीचर, उपकरण	3,00,000/– वार्षिक	3,00,000	आवश्यकतानुसार।
		मनोरंजन / खेलकूद सामग्री	50,000/– वार्षिक	50,000	वास्तविक व्यय
		विद्युत एवं पेयजल	2,50,000/–	30,00,000	वास्तविक व्यय
		चिकित्सा परीक्षण, चिकित्सक की फीस, दवायें, Toiletries, आकस्मिक चिकित्सा व्यय	1,20,000/–	1,20,000	नियमित
		सांस्कृतिक/बौद्धिक गतिविधियां	25,000/–	25,000	वर्ष में कम से कम दो बार
		शैक्षणिक भ्रमण /केम्प/व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण	50,000/–	50,000	वर्ष में कम से कम एक बार
		वेतन भत्ते मानदेय	78,00,000/–	78,00,000	
योग आवर्ती व्यय				145,91,250	
अ. अनावर्ती व्यय					
अनावर्ती व्यय		भवन निर्माण		5,35,08,750	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की ड्राइंग एवं लागत अनुसार।
योग अनावर्ती व्यय				5,35,08,750	
महायोग				6,81,00,000	

* विशिष्ट संस्थाओं में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति के अतिरिक्त राज्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिलता रहेगा।

5/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 2–2/2002/ नियम /चार–ब दिनांक 30.9.2002 के द्वारा पृष्ठांकन के लिए प्रदत्त अधिकार के तहत परियोजना परीक्षण की बैठक दिनांक 29.5.12 को दिये गये अनुमोदन के पश्चात् जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
12-9-12
(कमला अजीतवार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

क्रमांक एफ 3–9/2012/2/25
प्रतिलिपि,

1. निज सचिव मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
4. आयुक्त कोष एवं लेखा संचालनालय पर्यावास भवन भोपाल।
5. वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
6. कलेक्टर, बड़वानी, अलीराजपुर, श्योपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, रतलाम, खंडवा मध्यप्रदेश।
7. संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर, चम्बल (मुरैना), उज्जैन, मध्यप्रदेश।
8. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बड़वानी, अलीराजपुर, श्योपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, रतलाम, खंडवा मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश।
9. कोषालय अधिकारी जिला बड़वानी, अलीराजपुर, श्योपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, रतलाम, खंडवा मध्यप्रदेश।
10. आर्डर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12-9-12
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग